कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
सतपुड़ा भवन भोपाल – 462004

क्रमांक 232 / 616 / आउशि / शा.8 / 08 भोपाल, दिनांक 23 26 फरवरी 2008

प्रति,

(1) समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा म.प्र.

(2) प्राचार्य,
समस्त अग्रणी महाविद्यालय
मध्यप्रदेश

विषय– गांव की बेटी योजना व प्रतिभा किरण 2007–08 के क्रियान्वयन की समीक्षा बाबत् ।

(1) प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों से गांव की बेटी योजनांतर्गत सत्र 2007–08 के लिए बजट आवंटन संबंधित महाविद्यालयों को प्रेषित किया जा चुका है । तदनुसार समस्त अग्रणी महाविद्यालयों से गांव की बेटी योजना / प्रतिभा किरण के प्रभारी अधिकारी योजना के अभिलेखों के साथ **शासकीय सरोजनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल के कक्ष क्रमांक 4 में दिनांक 03 मार्च 2008** को उपस्थित हों ।

(2) उपरोक्त कार्यक्रम अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अग्रणी महाविद्यालय में गांव की बेटी योजना व प्रतिभा किरण के प्रभारी अधीनस्थ महाविद्यालयों से लाभान्वित छात्राओं की अद्यतन सूची व साफ्ट कॉपी (CD/Floppy/Pendrive) के साथ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित हों जिनसे यह स्पष्ट हो सके कि महाविद्यालय सतर से पात्र छात्रा योजना के लाभ से वंचित न रहे ।

(3) यदि बजट की अनुपलब्ध होने पर प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर बजट आवंटन की कार्यवाही त्वरित की जावेगी ।

(4) विगत लेखा मिलान में यह पाया गया कि अपरिहार्य कारणों से छात्रा द्वारा महाविद्यालय छोड़ने पर उसका नाम विलोपित किया गया जिससे लेखा में विसंगति पायी गयी । कृपया उक्त छात्रा का नाम विलोपित न करते हुए साफ्टवेयर में अंकित करें ।

(5) वित्तीय वर्ष 2007–08 अंतिम चरण में होने के कारण पात्र छात्रा को योजना का लाभ इसी वित्तीय वर्ष में मिल सके । इस वित्तीय वर्ष के पश्चात 2007–08 तक के लंबित प्रकरणों पर विचार नहीं किया जायेगा । जिसकी जवाबदेही संबंधित प्राचार्य की होगी ।

(प्रमुख सचिव / आयुक्त उच्च शिक्षा के आदेशानुसार)

26/2/08

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (पी.)
उच्च शिक्षा म.प्र.

क्रमांक 232/617/आउशि / यो. / शा.8 / 08 दिनांक– 23 26 फरवरी 2008

प्रतिलिपि–

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, भोपाल,इंदौर, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदेश ।
2- डॉ. आर.बी. शर्मा, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा ।
3- डॉ. अलकनंदा पलनीटकर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा सह संयोजक
4- संबंधित कर्मचारी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

26/2/08

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (पी.)
उच्च शिक्षा म.प्र.